राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 207 / प्रा0पत्र / 2020 दायरा दिनांक :–20.08.2020

GCMS ID-2020 / 00151

1. गणेशलाल आ0 शंकरलाल जाति रेगर निवासी तालाब गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. पप्पू आ0 शंकर जाति रेगर निवासी तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. चुन्नी आ0 शंकर जाति रेगर निवासी तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. दुर्गालाल आ0 शंकर जाति रेगर निवासी तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. धर्मवीर आ0 शंकर जाति रेगर निवासी तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. जाना बेवा शंकर जाति रेगर निवासी तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :– एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 25 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खाता संख्या 70 की भूमि खसरा संख्या 911 / 833 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम तालाबगांव पटवार मण्डल तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के पिता शंकरलाल है, वारिसों का सजरा शामिल पत्रावली है। शंकरलाल जी के रामलक्ष्मण नाम की कोई पुत्र नहीं है, प्रार्थी का नाम गणेशलाल है, लेकिन घर में प्रार्थी को रामलक्ष्मण के नाम से भी जानते थे। इसी कारण पटवारी हल्का द्वारा पिताजी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में गणेशलाल के स्थान पर रामलक्ष्मण का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड आदि सभी सहकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम गणेशलाल आ0 शंकरलाल दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थनां पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण दर्ज कर दिया जिसकी वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रही है, प्रार्थी का नाम गणेशलाल है और पहचान के सभी दस्तावेजात में गणेशलाल ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड

न्यायालय उपखण्ड ... हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर रामलक्ष्मण के स्थान पर गणेशलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 10.08.2020 को इन्कार कर दिया यही वाद उत्पत्ति का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज रामलक्ष्मण आ0 शंकरलाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर गणेशलाल आ0 शंकरलाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर गणेशलाल सही नाम दर्ज करवावे। वादग्रस्त भूमि के अन्य खातेदारान के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है शंकर के समस्त वारिसान का ही हित प्रभावित होने से शंकर जी के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है एवं राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाया गया है। भूमि ग्राम तालाबगांव में विस्थित होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 70 खसरा संख्या 911/833 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम तालाबगांव पटवार मण्डल तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रामलक्ष्मण के इन्द्राज को दुरूस्त कर गणेशलाल आ0 शंकर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में पप्पू, चुन्नीलाल, दुर्गालाल, गणेशलाल, धर्मवीर पिता शंकरलाल, जाना बेवा शंकर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण के स्थान पर गणेशलाल किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/2112 दिनांक :–11.07.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम तालाबगांव के खाता संख्या 70 में प्रार्थी का नाम नाबालिग रामलक्ष्मण पुत्र शंकर दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदार को उक्त खाता नम्बर में दर्ज नाबालिग रामलक्ष्मण पुत्र शंकर व नाबालिग गणेशलाल पुत्र शंकर एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज नाबालिग रामलक्ष्मण पुत्र शंकर के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम गणेशलाल पुत्र शंकर दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम गणेशलाल पुत्र शंकर है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, अंकतालिका कक्षा–8 वर्ष 2005–06 पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम गणेशलाल पुत्र शंकर दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम तालाबगांव पटवार मण्डल तालाबगांव के खाता संख्या 70 में दर्ज/सहखातेदार नाबालिग रामलक्ष्मण पुत्र शंकर संरक्षक सरपरस्त माता जाना के स्थान प्रार्थी का सही नाम गणेशलाल पुत्र शंकर शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बरं से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

25/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)